दिल्ली विश्वविद्यालय UNIVERSITY OF DELHI

(राजभाषा प्रकोष्ठ RAJBHASHA CELL)

कमरा संख्या : 104, प्रथम तल, नया प्रशासनिक खंड, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007 (दूरभाष: 011-27666269, एक्स नं.: 1225)

Room No.:104, 1st Floor, New Administrative Block, University of Delhi, Delhi-110007 (Phone: 011-27666269, Ext. No.: 1225)

फाइल संख्या: आरबीसी/334/आ. व सू.(18)/2018/18045 दिनांक: 05/07/2018

8881

सेवा में,

निदेशक,
कंप्यूटर केंद्र,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली - 110 007

विषय - मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों का राजभाषाई निरीक्षण एवं भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की निदेशक महोदया द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय का दिनांक 16 मार्च, 2018 को राजभाषाई निरीक्षण किया गया था। इस संबंध में मंत्रालय से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट (पत्र संख्या फा.स. 13035-4/2017-रा.भा.ए. दिनांक 15 जून, 2018) आपको अवलोकनार्थ एवं आपके विभाग/अनुभाग/कार्यालय/शाखाओं से संबंधित मदों पर आवश्यक कार्रवाई हेतु इसके साथ प्रेषित की जाती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया निरीक्षण रिपोर्ट में आपके विभाग/अनुभाग/कार्यालय/शाखाओं से संबंधित मदों पर आवश्यक कार्रवाई करें। साथ ही की गई कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराए ताकि राजभाषा प्रकोष्ठ द्वारा कार्रवाई संबंधी समेकित रिपोर्ट मंत्रालय को निर्धारित समय सीमा में भेजी जा सके।

संलग्नक : मंत्रालय की निरीक्षण रिपोर्ट

भवदीय,

आनंद कु. सोनी
05/07/2018

(आनंद कुमार सोनी)
सहायक कुलसचिव (राजभाषा)

फा.स. 13035-4/2017-रा.भा.ए.
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
राजभाषा प्रभाग
****

विषय: मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों का राजभाषाई निरीक्षण।

निरीक्षण-रिपोर्ट

1	कार्यालय का नाम जिसका निरीक्षण किया गया	दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली-110007
2	निरीक्षण किए जाने वाले कार्यालय के अधिकारियों के नाम व पदनाम	1. प्रो. जितेंद्र खुराना, सम कुलपति एवं अध्यक्ष राभाकास 2. प्रो. तरूण दास, कुलसचिव एवं सदस्य, राभाकास 3. श्री धर्मवीर सिंह, पुस्तकालयाध्यक्ष सदस्य, राभाकास 4. श्री आनंद कुमार सोनी, सहायक कुलसचिव (राभा) एवं सदस्य सचिव (राभा)
3	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम, पदनाम	श्रीमती सुनीति शर्मा, निदेशक (रा.भा.) मानव संसाधन विकास मंत्रालय
4	निरीक्षण की तिथि	16 मार्च, 2018

निरीक्षण कार्य हेतु कार्यालय द्वारा निरीक्षण प्रोफार्मा भरकर उपलब्ध कराया गया। निदेशक (रा.भा.) द्वारा सामान्य तौर पर राजभाषा नियमों/आदेशों की संक्षिप्त जानकारी दी गई तथा कुछ दस्तावेजों को भी देखा गया। प्रोफार्मा में पिछले छह माह के आंकड़ों के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार स्थिति दर्शाई गई है। निरीक्षण रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

मद सं.2 हिंदी ज्ञान हेतु प्रशिक्षण के लिए शेष 104 अधि./कर्म को शीघ्र ही प्रशिक्षित कराया जाए।

मद सं.4,5 56 आशुलिपिकों तथा 130 अवर श्रेणी लिपिकों में से शेष बचे क्रमश: 51 आशुलिपिकों तथा 44 अवर श्रेणी लिपिकों को शीघ्र ही प्रशिक्षित करवाया जाए।

मद सं.7 तिमाही प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति मंत्रालय को भी अवश्य भेजी जाए।

मद सं.8 कार्यालय द्वारा कुल जारी 16971 मूल पत्रों में से केवल 8,870 पत्र हिंदी में तथा 8101 पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए हैं। कार्यालय 'क' क्षेत्र में स्थित है मूलरूप हिंदी पत्राचार का प्रतिशत काफी कम है। इस संबंध में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्यालय से शत-प्रतिशत पत्राचार हिंदी में किया जाना अपेक्षित है। कृपया लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में ठोस कार्रवाई की जाए।

मद सं.14 हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय काफी कम है। हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार किया जाना अनिवार्य है। वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य का पालन किया जाए।

मद सं.19 सभी सेवा पंजियों में प्रविष्टियां हिंदी में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

मद सं.21 वेबसाइट को द्विभाषी करने की कार्रवाई शीघ्र पूरी की जाए।

मद सं.22 राजभाषा हिंदी से संबंधित रिक्त पड़े पद को भरने के लिए कार्रवाई शीघ्र पूरी की जाए। मंत्रालय को भी अवगत कराया जाए।

उल्लेखनीय है कि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा समय-समय पर मंत्रालयों तथा इनके अंतर्गत आने वाले कार्यालयों का राजभाषाई निरीक्षण किया जाता है। अतः संसदीय राजभाषा समिति की संबंधित प्रश्नावली (http://rajbhashasamiti.gov.in/ पर उपलब्ध) के अनुसार सूचनाएं हमेशा अद्यतन रखी जाएं ताकि निरीक्षण के समय प्रश्नावली को समुचित रूप से भरा जा सके।

कृपया उपर्युक्त कमियों को दूर करने के ठोस उपाय करते हुए कार्य में हुई प्रगति से मंत्रालय को यथाशीघ्र तीन माह के भीतर अवगत कराया जाए।

राजभाषा नीति के संबंध में अधिक जानकारी हेतु समय-समय पर गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की वेबसाईट rajbhasha.gov.in को देखा जाए।

(सुनीति शर्मा)
निदेशक (रा.भा.)
दूरभाष: 23380429
15 जून, 2018

सेवा में,

अध्यक्ष,
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली-110007